हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1-60 / 2023.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. बृहत नाम का संशोधन।
3. धारा 1 का संशोधन।
4. धारा 2 का संशोधन।
5. धारा 18 का संशोधन।
6. धारा 34 का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

2. बृहत नाम का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत नाम में, "उद्गृहीत करने के लिए" शब्दों के पश्चात् "राज्य जल आयोग की स्थापना हेतु" शब्द रखे जाएंगे ।

3. धारा 1 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (1) में, "जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर " शब्द और चिन्ह के स्थान पर "राज्य जल आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 2 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) "आयोग", से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य जल आयोग, अभिप्रेत है; "।

5. धारा 18 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) में, "जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर हेतु राज्य आयोग" शब्दों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश राज्य जल आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 34 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में, "जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर आयोग निधि" शब्दों के स्थान पर "जल आयोग निधि" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर उद्गृहीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) अधिनियमित किया गया है। अधिनियम 10 मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ है।

अधिनियम के अधीन जल विद्युत उत्पादन पर हिमाचल प्रदेश राज्य जल उपकर आयोग का गठन किया गया है । राज्य सरकार उक्त आयोग को अत्यधिक महत्व देने का आशय रखती है और इसलिए अधिनियम का नाम और जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग का नाम परिवर्तित करने का आशय रखती है । इसलिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(मुकेश अग्निहोत्री)
उप मुख्य मंत्री।

धर्मशाला :
तारीख.........................., 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

——————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of Long title.
3. Amendment of section 1.
4. Amendment of section 2.
5. Amendment of section 18.
6. Amendment of section 34.

Bill No. 21 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (Act No. 7 of 2023).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of Long title.—In Long title of the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (hereinafter referred to as the "principal Act") for the words "to levy", the words " to establish State Water Commission for levying" shall be substituted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Water Cess on Hydropower Generation", the words "State Water Commission" shall be substituted.

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act, for clause(a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) "Commission" means the Himachal Pradesh State Water Commission established under section 18 of this Act;".

5. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "State Commission for water cess on hydropower generation", the words "Himachal Pradesh State Water Commission" shall be substituted.

6. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Water Cess on Hydropowers Generation Commission Fund", the words "Water Commission Fund" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (Act No.7 of 2023) has been enacted to levy water cess on hydropower generation in the State of Himachal Pradesh. The Act has come into force on the 10th day of March, 2023.

The Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation has been established under the Act. The State Government intends to provide greater significance to the said Commission and hence intends to change the title of the Act and the name of the State Commission for Water Cess on Hydropower Generation. This has necessitated an amendment in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MUKESH AGNIHOTRI),
Deputy Chief Minister.

DHARAMSHALA :

The……..…., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।